



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा-846 004

Adv No. 02/2025/CET-B.Ed.-2025

बिहार राज्य स्तरीय बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2025 (CET-B.Ed. & Shiksha Shastri-2025)

बी.एड. एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन संबंधी अति आवश्यक सूचना (Public Notice)

दो वर्षीय बी.एड. एवं शिक्षा शास्त्री सत्र 2025-27 हेतु नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 (CET-B.Ed. & Shiksha Shastri- 2025) में सम्मिलित होने के लिए एतद् द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र www.biharcetbed-lnmu.in के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि 04.04.2025 से 02.05.2025 तक निर्धारित है। इससे संबंधित अर्हता, निर्देश, ऑनलाइन प्रक्रिया एवं विवरणिका उपर्युक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

सूचनीय है कि बिहार राज्यपाल सचिवालय, पटना द्वारा पारित Statute for Conducting Combined Entrance Test for B.Ed. Colleges affiliated to State Universities of Bihar के अनुसार Bihar State Universities Act, 1976 (amended upto date), Patna University Act 1976, Nalanda Open University Act, 1995 एवं Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 के अन्तर्गत अंगीभूत/ संबंधता प्राप्त तथा NCTE से मान्यता प्राप्त सभी बी.एड. एवं शिक्षा शास्त्री कॉलेजों में नामांकन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के आधार पर ही किया जाना है।

माननीय राज्यपाल सचिवालय की अधिसूचना B.S.U (Regulation)- 16/2015 (Part-2) 282 / GS (1), दिनांक 24/02/2025 एवं BSU-18/2019-283/GS (1), दिनांक- 24.02.2025 द्वारा दो वर्षीय बी.एड. एवं शिक्षा शास्त्री के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 (CET- B.Ed.- 2025) का आयोजन एवं इसमें सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग का दायित्व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सौंपा गया है।

उपर्युक्त अधिसूचना एवं परिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सन्दर्भ में सभी संबंधित संस्थानों तथा बी.एड. एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों एवं अन्य संबंधित को सूचित किया जाता है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने, तदुपरांत काउंसलिंग आयोजित कर नामांकन कराने का शासनादेश (Mandate) मात्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को प्राप्त है। अनधिकृत रूप में इससे भिन्न उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन संचालित होनवाले कोई संस्थान बी.एड. एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2025-2027 में अपने स्तर से नामांकन या काउंसलिंग आयोजित करता है तो इसे वैध नहीं माना जायेगा एवं उनके विरुद्ध उपयुक्त विधिसम्मत कारवाई की जाएगी।

-कुलपति महोदय के आदेश से

प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता
राज्य नोडल पदाधिकारी
CET-B.Ed.-2025